

कमांक/विधि/उ.सं./2011/ 2011
प्रति,

1. महाधिवक्ता,
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर ।
2. अतिरिक्त महाधिवक्ता,
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर/इंदौर ।

विषय:- संविदा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में मूक बधिर निशक्तों के लिए आरक्षण न किये जाने से उदभूत होने वाले न्यायालयीन प्रकरण के संबंध में ।

::0::

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संविदा शाला शिक्षक श्रेणी 2 एवं 3 के लगभग 65,000 से 70,000 रिक्त पदों की भरती प्रक्रिया व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के माध्यम से प्रारंभ की गई है जिसमें विकलांगों के लिए निशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत नियमानुसार आरक्षण किया गया है जिसमें मूक बधिर निशक्तजनों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है । तत्संबंध में नियमों की स्थिति नियमानुसार है ।

निशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 धारा 32 के अनुसार भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विशेषज्ञों की एक समिति का गठन निशक्तजनों के पदों की पहचान एवं चिन्हांकन करने के लिए किया गया था जिसके अनुक्रम में विभिन्न श्रेणी के निशक्तजनों के पदों का आरक्षण संबंधी अधिसूचना का प्रकाशन भारत के राजपत्र में दिनांक 30.06.2001 को किया गया है ।

इस अधिसूचना के पृष्ठ 485 पर सहायक शिक्षक, स्नातक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षकों के लिए शारीरिक अपेक्षाओं के अनुसार पदों का निर्धारण किया गया है । इसी अधिसूचना के पृष्ठ 582 के सरल कमांक 869 एवं 870 पर उल्लेखित आर्ट शिक्षक एवं काफ़्ट शिक्षक के पद मूक बधिर निशक्तों के लिए आरक्षित किये गये हैं । शिक्षण कार्य के लिए संवाद एक अत्यन्त महत्वपूर्ण आवश्यकता है, इसको दृष्टिगत रखते हुए सामान्य शिक्षकों के पदों के लिए मूक बधिर निशक्तजनों का आरक्षण इन पदों के लिए भारत सरकार के राजपत्र में नहीं किया गया है ।

तत्संबंध में राज्य शासन द्वारा मुख्य आयुक्त निशक्तजन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली से भी पत्राचार किया गया था जिसमें उनके द्वारा दिनांक 18.10.2005 से अवगत कराया है कि प्रायमरी शिक्षक का कार्य दृष्टिबाधित वर्ग में केवल कम दृष्टि (लो विजन) वाले व्यक्ति के लिए चिन्हित है । शत-प्रतिशत दृष्टिहीन व्यक्तियों के चिन्हित नहीं है । इसी प्रकार श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए केवल आर्ट ओर काफ़्ट शिक्षक के लिए चिन्हित है ।

निशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 36 में उल्लेख है कि :-

“परन्तु यदि किसी स्थापन में रिक्तियों की प्रकृति ऐसी है कि किसी निश्चित प्रवर्ग के व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जा सकता है, तो रिक्तियां समुचित सरकार के पूर्वानुमोदन से तीनों वर्गों के बीच परस्पर परिवर्तित की जा सकेगी ।”


निरंतर.....2

उक्त प्रावधान के अनुक्रम में श्रवण बाधित निःशक्तजनों के लिए निर्धारित 2 प्रतिशत पद अस्थि बाधित प्रवर्ग में अधिनियम 1995 की धारा-36 में दिये गये प्रावधान के अनुसार परिवर्तित कर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक 380/1773/05/आ.प्र./एक दिनांक 24.03.2006 को जारी किया गया है ।

उक्त वर्णित स्थिति से स्पष्ट है कि प्रदेश में संविदा शाला शिक्षकों के नियोजन में निःशक्तजनों के चिन्हाकन एवं आरक्षण का कार्य निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में दिये गये प्रावधान के अनुसार ही किया गया है एवं मूक बधिर निःशक्त व्यक्तियों के लिए संविदा शाला शिक्षकों के पदों का आरक्षण नहीं किया जा सकता है, इनके लिए केवल आर्ट एवं काफ्ट के शिक्षकों का चिन्हाकन किया जा सकता है । वर्तमान में आर्ट एवं काफ्ट के शिक्षकों की भर्ती का कार्य नहीं किया जा रहा है ।

तत्संबंध में भरती प्रक्रिया को लेकर कुछ न्यायालयीन प्रकरण लगाये जा सकते हैं तथा मान. न्यायालय के सम्मुख यदि उक्त तथ्यों को प्रभावी ढंग से नहीं रखा गया तो भरती प्रक्रिया में विलंब की स्थिति में विपरीत प्रभाव प्रदेश की शालाओं के अध्ययन-अध्यापन के कार्य पर पड सकता है ।

अतः कृपया उपरोक्त तथ्यों से सभी शासकीय अभिभाषको को अवगत कराने का कष्ट करें जिससे कोई विपरीत स्थिति उत्पन्न न हो सकें ।



आयुक्त
लोक शिक्षण म.प्र.

पृष्ठां.क्रमांक/विधि/उ.सं./2011/ 2072
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 11/11/11

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
 2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण म.प्र. ।
 3. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण विधि प्रकोष्ठ जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर म.प्र. ।
 4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र. ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।



आयुक्त
लोक शिक्षण म.प्र.